

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /834/2012/14-1
प्रति,

भोपाल दिनांक 9/4/12


प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय भोपाल।

विषय:- मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि(अलिपिक वर्गीय) एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियमों में संशोधन।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन एवं प्रारूप विधि एवं विधायी कार्य विभाग से परिमार्जन कराने उपरांत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी किये गये भर्ती नियम की मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र दिनांक 23.2.2012 में प्रकाशित प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।



(हेमराज सिंह)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल दिनांक 9/4/12

पृष्ठां क्रमांक 1144 /834/2012/14-1
प्रतिलिपि:-

संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल की ओर प्रकाशित भर्ती नियम की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

संचालकालय


किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक अ-2-5/स्था/37/2007/2715

भोपाल दिनांक 1-5-12

प्रतिनिधि: संयुक्त संचालक/उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त) म0प्र0की ओर भेजकर लेख है कि म0प्र0 अधीनस्थ कृषि (अलिपिक वर्गीय) एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियमों में म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-1 बी/5/2010/14-1 दिनांक 23 फरवरी 2012 द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया है। जिसका म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन उपरान्त इसे वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा इसे विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध किया गया है। जिसकी प्रति निकालकर सुरक्षित रखे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


संयुक्त संचालक कृषि (स्था)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी 2012—फाल्गुन 4, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क.एफ-1 बी/5/2010/14-1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन

उक्त नियमों में,-

- (1) नियम 5 को, उपनियम (1) के रूप में कर्मांकित किया जाए और तत्पश्चात् नया उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
“(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24-1-2008 के उपबंधों के अनुसार समयमान वेतनमान प्राप्त करने के हकदार होंगे.”.

- (2) अनुसूची-एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुसूची - एक

(नियम 5 देखिये)

(सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण श्रेणी -3. कार्यपालिक सेवा	वेतनमान	अभ्युक्ति
(एक) - क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	722	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600	
2	कृषि विकास अधिकारी	1251	—	5200-20200+2800	
3	नक्शानवीस (ड्राफ्ट्समैन)	53	—	5200-20200+2400	

4	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	6371	—"	5200- 20200+2400	
	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)	-----	-----	5200- 20200+2100	भविष्य में इस वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जाएगी ।
5	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी	966	—"	5200- 20200+2800	वर्तमान पदनाम - भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी के लिए मंत्री परिषद् निर्णय के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्र. ए-1-बी/4/2008/14-1 दिनांक 15 जून, 2009 द्वारा सर्वेयर का वेतनमान पुनरीक्षित कर वेतनमान 3500-5200 के स्थान पर वेतनमान 4500-125-7000. (मध्यप्रदेश. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 अनुसार वेतनमान 5200-20200+2800) किया गया है।
6	अनुरेखक	58	—"	5200- 20200+1900	

(दो)- कृषि इंजीनियरिंग (यांत्रिकी)					
1	मैकेनिक	4	—"	5200- 20200+2100	
2	वाहन चालक	276	—"	5200- 20200+1900	
(तीन)- सांख्यिकी					
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	138	—"	9300- 34800+3600	
2	अनुसंधान सहायक	9	—"	9300- 34800+3600	
3	आर्थिक अन्वेषक	1	—"	5200- 20200+2800	
4	निर्धारण निरीक्षक	9	—"	5200- 20200+2400	
5	अन्वेषक	6	—"	5200- 20200+1900	
6	संगणक (कम्प्यूटर)	3	—"	5200- 20200+2100	

(चार) - विविध सूचना					
1	सहायक कृषि सूचना अधिकारी तकनीकी सहायक	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600	
2	कृषि विकास अधिकारी सूचना	6	—"	5200-20200+2800	
3	प्रयोगशाला सहायक	54	—"	5200-20200+1900	
4	प्रेस ऑपरेटर	12	—"	5200-20200+2400	
5	प्रेस कम्पोजीटर	12	—"	5200-20200+1900	
6	सिनेमा ऑपरेटर	22	—"	5200-20200+1900	
7	फोटोग्राफर	22	—"	5200-20200+2400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	आर्टिस्ट (कलाकार) क-फाईन आर्ट्स के साथ हॉयर सेकेण्डरी के लिये वेतनमान ख-फाईन आर्ट्स डिग्री/डिप्लोमा के लिये वेतनमान के साथ	9	—"	5200-20200+2100	
9	सहायक प्रेस ऑपरेटर	1	—"	5200-20200+2100	
10	प्रदर्शनी सहायक	1	—"	5200-20200+2400	
11	पुस्तकालय सहायक	1	—"	5200-20200+2100	
12	वितरक	1	—"	5200-20200+1800	
13	आफसेट कैमरामैन	1	—"	5200-20200+2400	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

अनुक्रमांक	पदों के नाम (वर्तमान में कार्यरत)	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा (नियम 6 (क) देखिए)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (ख) देखिए)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण (नियम 6 (ग) देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	722	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	निरंक	
2	कृषि विकास अधिकारी	1251	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत	निरंक	1. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से 44 प्रतिशत (कृषि स्नातक 24 प्रतिशत शेष ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 20 प्रतिशत) से। 2. 16 प्रतिशत भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी से पदोन्नति की जाएगी।
3	नक्शानवीस (ड्राफ्टस्मेन)	53	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	निरंक	अनुरेखकों की पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण, 50 प्रतिशत पद अनुरेखकों से भरे जाएंगे।
4	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)	6371	100 प्रतिशत	निरंक	
5	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी	966	100 प्रतिशत	निरंक	आदेश क्रमांक एफ 1 बी/5 / 2010 / 14-1(पाट) दिनांक 24 नवंबर, 2011 द्वारा सर्वेक्षक(सर्वेयर) पदनाम परिवर्तित कर पदनाम भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी किया गया।
6	अनुरेखक	58	100 प्रतिशत	निरंक	-

(दो) कृषि इंजीनियरिंग

1	मैकेनिक	4	100 प्रतिशत	डाइंग कैडर
2	वाहन चालक	276	100 प्रतिशत	निरंक	सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 26.8.93 के अनुसार आकस्मिक स्थापना सेवा के वाहन चालकों को नियमित सेवा में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित किया जायेगा।

(तीन) सांख्यिकी

1	अनुसंधान सहायक	9	---	निरंक	अधिसंख्य
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	138	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	निरंक	-
3.	आर्थिक अन्वेषक	1	डाइंग कैडर
4.	निर्धारण निरीक्षक	9	अधिसंख्य
5.	अन्वेषक	6	डाइंग कैडर
6.	संगणक	3	डाइंग कैडर

(चार) विविध सूचना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक कृषि सूचना अधिकारी, तकनीकी सहायक	1	निरंक	100प्रतिशत	निरंक	कृषि विकास अधिकारी (सूचना) से पदोन्नत किया जाएगा।
2-	कृषि विकास अधिकारी, सूचना	6	निरंक	100प्रतिशत	निरंक	25 प्रतिशत पदोन्नतियां कलाकार से होंगी। 75 प्रतिशत पदोन्नतियां फोटोग्राफर से होंगी।
3-	प्रयोगशाला सहायक	54	100प्रतिशत	निरंक	निरंक	6 पद डाइंग कैडर, 6 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। 7 पद डाइंग कैडर, 5 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।
4.	प्रेस आपरेटर	12	100प्रतिशत	निरंक	निरंक	
5.	प्रेस कम्पोजीटर	12	100प्रतिशत	निरंक	निरंक	
6.	सिनेमा आपरेटर	22	100प्रतिशत	निरंक	निरंक	
7.	फोटोग्राफर	22	100प्रतिशत	निरंक	निरंक	22 पद अधिसंख्य
8.	आर्टिस्ट	9	100प्रतिशत	निरंक	निरंक	9 पद अधिसंख्य, सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।
9.	सहायक प्रेस आपरेटर	1				1 पद अधिसंख्य सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।
10-	प्रदर्शनी सहायक	1				1 पद अधिसंख्य सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।
11.	पुस्तकालय सहायक	1				1 पद अधिसंख्य सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।
12.	वितरक	1	100प्रतिशत	निरंक	निरंक	1 पद डाइंग कैडर सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।
13.	आफसेट कैमरामेन	1	निरंक	100प्रतिशत	निरंक	1 पद अधिसंख्य पदोन्नति हेतु पात्र नहीं।

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	वांछनीय शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(एक) क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण					
1.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	कृषि या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक	
2.	कृषि विकास अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	कम से कम द्वितीय श्रेणी में कृषि स्नातक या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक	
3.	नवशानवीस (ड्राफ्ट्समेन)	21 वर्ष	35 वर्ष	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	
4.	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	21 वर्ष	35 वर्ष	कृषि स्नातक	
	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)				भविष्य में नियुक्ति नहीं की जाएगी ।
5.	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	कृषि स्नातक या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक ।	
6.	अनुरेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से ड्राइंग परीक्षा के साथ (10+2) पद्धति से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण ।	
(दो) कृषि इंजीनियरिंग					
1.	मैकेनिक	21 वर्ष	35 वर्ष		
2.	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	8 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण एवं विधिमान्य अनुज्ञापति हो	
(तीन) सांख्यिकी					
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाजशास्त्र विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए ।	

(चार) विविध सूचना

1	2	3	4	5	6
1.	प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण या 15 वर्ष के प्रयोगशाला अनुभव के साथ गैर मैट्रिक (हाई स्कूल)	
2.	प्रेस आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण और मुद्रण का अनुभव हो। उसे मुद्रण उपकरणों का पर्यवेक्षण तथा अनुरक्षण का ज्ञान होना चाहिए। जो कला/फोटोग्राफी कला के आफसेट का ज्ञान रखते हैं, को अधिमानता दी जाएगी।	
3.	प्रेस कम्पोजीटर	18 वर्ष	35 वर्ष	चल चित्र की प्रोजेक्शन (प्रक्षेपण) स्लाइड प्रोजेक्शन, जनरेटर इत्यादि के प्रशिक्षण के साथ (10+2) पद्धति से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं उपर्युक्त कार्य के साथ ही प्रोजेक्ट उपकरणों के अनुरक्षण कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।	
4.	सिनेमा आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	चल चित्र का प्रोजेक्शन (प्रक्षेपण) स्लाइड प्रोजेक्शन, जनरेटर इत्यादि के प्रशिक्षण के साथ (10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं उपर्युक्त कार्य के साथ ही प्रोजेक्ट उपकरणों के अनुरक्षण कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।	
5.	फोटोग्राफर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण साथ ही स्टूडियो तथा बाहरी फोटोग्राफी में तीन वर्ष का अनुभव।	
6.	आर्टिस्ट				
	(क) फाइन आर्ट के साथ हायर सेकेण्डरी के लिए वेतनमान	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण कला का ज्ञान तथा ड्राइंग का अनुभव। ड्राइंग में इण्टरमीडिएट ग्रेड को अधिमान दिया जायेगा।	
	(ख) फाइन आर्ट में उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) के लिए वेतनमान	21 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, फाइन आर्ट के साथ डिग्री/डिप्लोमा	

अनुसूची - चार
(नियम 13 देखिए)

मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिकवर्गीय) सेवा

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	आवश्यक अर्हता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण				
	कृषि विकास अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	5 वर्ष	<u>संचालनालय स्तर-</u> 1. संचालक, कृषि द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अपर संचालक -अध्यक्ष 2. विषय से संबंधित एक या दो अधिकारी -सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी -सदस्य 4. स्थापना से संबंधित अधिकारी -सदस्य सचिव <u>संभागीय स्तर</u> 1. संयुक्त संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रथम श्रेणी अधिकारी -अध्यक्ष 2. सहायक संचालक (स्थापना तथा लेखा) -सदस्य 3. संचालक, संचालनालय कृषि द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति -सदस्य 4. संयुक्त संचालक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी -सदस्य।	
	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	कृषि विकास अधिकारी	5 वर्ष		
	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)	तदैव	5 वर्ष		
	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी	तदैव	5 वर्ष		
	अनुरेखक	नक्शानवीस (ड्रापट्समेन)	5 वर्ष		
	सांख्यिकी आर्थिक अन्वेषक/निर्धारक निरीक्षक/संगणक/अन्वेषक विविध सूचना कृषि विकास अधिकारी (प्रकाशन तथा सूचना)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष		
कलाकार/फोटोग्राफर	सहायक कृषि सूचना अधिकारी/तकनीकी सहायक	5 वर्ष			
	कृषि विकास अधिकारी (प्रकाशन तथा सूचना)	5 वर्ष			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-बी-5-2010-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1-बी-5-2010-चौदह-1, दिनांक 23 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd February 2012

F A-1B/5/2010/ XIV-1 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh subordinate Agriculture (Non-Ministerial) Services Recruitment Rules 1972, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) Rule 5 shall be numbered as sub rule (1) and thereafter new sub rule shall be inserted, namely:-

"(2) Members of service shall be entitled for Time Scale of pay scale according to the provisions of the circular of finance department dated 24-1-2008."

(2) For Schedule-I, II, III and IV the following Schedules shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Classification of scale of pay, post included in the service

S. No.	Name of the Post	Total No. of Posts	Classification Class-3 Executive service	Pay Scale	Remark
(One)-Field Extension and soil Conservation 1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Senior Agriculture Development Officer	722	Class-III	9300-34800+3600	
2	Agriculture Development Officer	1251	-	5200-20200+2800	
3	Draftsman	53	-	5200-20200+2400	
4	Rural Agriculture Extension Officer(Graduate)	6371	-	5200-20200+2400	Eliminated post for further recruitment at this pay scale
	Rural Agriculture Extension Officer (Non-Graduate)	-----	-----	5200-20200-2100	
5	Soil Conservation Survey Officer	966	-	5200-20200+2800	According to cabinet decision M.P. Govt. Former Welfare and Agriculture Development Department Order No. A-1-B/4/2008/14-1 Date 15 June 2009 pay scale of surveyor has been

					revised to 4500-125-7000 instead of 3500-5200 (M.P. Pay Revise Rule 2009 Pay scale 5200-20200+2800) for present name of post Soil Conservation Survey Officer
6	Tracers	58	-	5200-20200+1900	
(Two)-Agriculture Engineering					
1	Mechanic	4	-	5200-20200+2100	
2	Driver	276	-	5200-20200+1900	
(Three)-Statistics					
1	Assistant Statistical Officer	138	-	9300-34800+3600	
2	Research Assistant	9	-	9300-34800+3600	
3	Economic Investigator	1	-	5200-20200+2800	
4	Assessment Inspector	9	-	5200-20200+2400	
5	Investigator	6	-	5200-20200+1900	
6	Computer	3	-	5200-20200+2100	
(Four)- Misc. Information					
1	Assistant Agriculture Information Officer Technical Assistant	1	-	9300-34800+3600	
2	Agriculture Development Officer, Information	6	-	5200-20200+2800	
3	Laboratory Assistant	54	-	5200-20200+1900	
4	Press Operator	12	-	5200-20200+2400	
5	Press Compositor	12	-	5200-20200+1900	
6	Cinema Operator	22	-	5200-20200+1900	
7	Photographer	22	-	5200-20200+2400	
8	Artist	9	-		
	A- Pay scale for Higher Secondary with fine Arts			5200-20200+2100	
	B- Pay scale for Degree/ Diploma with fine Arts			5200-20200+2800	
9	Assistant Press Operator	1	-	5200-20200+2100	
10	Exhibition Assistant	1	-	5200-20200+2400	
11	Library Assistant	1	-	5200-20200+2100	
12	Distributor	1	-	5200-20200+1800	
13	Offset Camera Man	1	-	5200-20200+2400	

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

S. No.	Name of the Posts (Serving at Present)	Total No. of Posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in		Transfer of person from other services vide Rule 6 (c)	Remarks
			By Direct recruitment (vide rule 6 (a))	Promotion of the substantive numbers of the service (vide Rule 6 (b))		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Senior Agriculture Development Officer I	722	10%	90%		
2	Agriculture Development Officer	1251	40%	60%	Nil	Promotion shall be made - 1. 44% from Rural Agriculture Extension Officer (Agriculture Graduate 24% Remaining 20% For R-A-E-O-) 2. 16% from Soil Conservation Survey Officer
3	Draftsman	53	50%	50%	Nil	Due to lack of chance of promotion for tracers. 50% Post shall be field from Tracer
4	Rural Agriculture Development Officer (Graduate)	6371	100%	-----	Nil	
	Rural Agriculture Development Officer (Non Graduate)					
5	Soil Conservation Survey Officer	966	100%	Nil	Nil	According to Order no. F -1(B)/5/2010/ XIV-1(part) dated - 24 NOV.2011 orders have been released to change the designation 'Surveyor' to 'Soil Conservation Survey Officer.
6	Tracers	58	100%	---	Nil	

(TWO) Agriculture Engineering)

1	Mechanic	4	100%	---	Nil	Dying cader.
2	Driver	276	100%	---	Nil	As per G.A.D. circular dated 26-8-93 drivers of contingency establishment services shall be regularized in regular services on against vacant post.

(Three) Statistics

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Research Assistant	9	--	--	--	Supernumerary
2	Assistant Statistical Officer	138	50%	50%	Nil	
3	Economic Investigator	1	--	--	--	Dying kader
4	Assessment Inspector	9	--	--	--	Supernumerary
5	Investigator	6	--	--	--	Dying kader
6	Computer	3	--	--	--	Dying kader

(Four)- Misc. Information

1	Assistant Agriculture Information Officer Technical Assistant	1	Nil	100%	Nil	To be promoted from Agriculture Development Officer (Information)
2	Agriculture Dev. Officer Information	6	Nil	100%	Nil	25% promotion shall be made from Artist 75% promotion shall be made from Photographer
3	Laboratory Asstt.	54	100%	Nil	Nil	--
4	Press Operator	12	100%	Nil	Nil	6 posts Dying cadre, direct recruitment for 6 posts.
5	Press Compositor	12	100%	Nil	Nil	7 posts Dying cadre, direct recruitment for 5 posts.
6	Cinema Operator	22	100%	Nil	Nil	22 posts Supernumerary
7	Photographer	22	100%	Nil	Nil	22 posts Supernumerary
8	Artist	9	100%	Nil	Nil	9 posts Supernumerary, further direct recruitment eliminated.
9	Assistant Press Operator	1				1 post Supernumerary, further direct recruitment eliminated.
10	Exhibition Assistant	1				1 post Supernumerary, further direct recruitment eliminated
11	Library Assistant	1				1 post Supernumerary, further direct recruitment eliminated
12	Distributor	1	100%	Nil	Nil	1 post Dying cadre, further direct recruitment eliminated
13	Offset Camera Man	1	Nil	100%	Nil	1 post Supernumerary, not eligible for promotion

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Name of Deptt.	Name of Service	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Desirable Educational Qualification	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(one) Field Extension and soil conservation					
1	Senior Agriculture Development Officer	21 year	35 year	Post Graduate degree in Agriculture or allied subject or graduate in Agriculture Engineering.	
2	Agriculture Development Officer	21 year	35 year	At least second division in agriculture gradation or graduate in agriculture Engineering.	
3	Draftsman	21 year	35 year	Diploma in Civil Engineering	
4	Rural Agriculture Extension Officer (Graduate) Rural Agriculture Extension Officer (Non-Graduate)	21 year	35 year	Agriculture Graduate	
5	Soil Conservation Survey Officer	21 year	35 year	Agriculture Graduate or agriculture engineering Graduate else Graduate in civil Engineering	
6	Tracers	18 year	35 year	Passed Higher Secondary from (10+2) Pattern with Drawing Examination from any recognized institution.	

(TWO) Agriculture Engineering)

1	Mechanic	21 year	35 year		
2	Driver	18 year	35 year	Passed 8 th class Examination and having a valid license.	

(Three) Statistics

1	Assistant Statistical Officer	21 year	35 year	Must have post graduate Degree in one of the subject from Economics, Statistics, commerce, Mathematics or Sociology at least in second Division from any recognized university.	
---	-------------------------------	---------	---------	---	--

(Four)- Misc. Information

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laboratory Assistant	18 year	35 year	Passed Higher Secondary from (10+2) Pattern with science or Non-metric with 15 years Lab. Experience (High School).	
2	Press Operator	18 year	35 year	Passed higher secondary from (10+2) pattern and having training from industrial training institute and printing experience. He must have knowledge regarding supervision and maintenance of printing equipments. Preference will be given who are having Art/offset knowledge of photography Art.	
3	Press Compositor	18 year	35 year	Passed Higher Secondary from (10+2) Pattern with training, Operator of cine projections, slide projections, generator etc. Atleast two years experience in the above work as well as maintenance or project equipments	
4	Cinema Operator	18 year	35 year	Passed Higher Secondary from (10+2) pattern with a training in cinema slide projection, generator etc. he must have at least two years experience in aforesaid work and have a knowledge of project equipments and its maintenance.	
5	Photographer	18 year	35 year	Passed Higher Secondary from (10+2) pattern with 3 years experience in studios and outdoor photography.	
6	Artist				
	A- Pay scale for Higher Secondary with fine Arts	18 year	35 year	Passed Higher Secondary from (10+2) pattern and having knowledge of artiest and have a experience in drawing. Weightage shall be given who are intermediate grade in drawing.	
	B- Pay scale for Degree/ Diploma with fine Arts	21 year	35 year	Passed Higher Secondary from (10+2) pattern, Degree/Diploma with fine Arts.	

SCHEDULE-IV
(See Rule 13)

Name of the Department	Name of the service of post from which promotion is to be made	Name of the service of post to which promotion is to be made	Essential Qualification	Name of the member of the Departmental Promotion Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Field Extension and Soil Conservation					
Farmer Welfare & Agriculture Development Department	Agriculture Development Officer,	Senior Agriculture Development Officer	5 year	Directorate Level- 1. Any Additional Director Nominated by Director Agriculture - Chairman 2. One or two officer pertaining to subject - Member 3. Any nominated officer of Scheduled Caste/ Scheduled Tribes-member 4. officer pertaining to establishment-member secretary	
	Rural Agriculture Extension Officer (Graduate),	Agriculture Development Officer	5 year		
	Rural Agriculture Extension Officer (Non-Graduate),	Do	5 year		
	Soil Conservation Survey Officer		5 Year		
	Tracer	Draftsman	5 Year		
	Statistics				
	Economic Investigator / Assessment Inspector / Computer / Investigator	Assistant statistical officer	5 year		
	Miscellaneous information				
	Agriculture Development Officer (Publicity and information)	Assistant Agriculture Information Officer/ Technical Assistant	5 year	Divisional Level : 1. Any class-1 Officer nominated by Joint Director 2. Assistant Director (Establishment and Accounts) 3. Any person nominated by Director from Directorate Agriculture-member 4. Any Officer nominated by Joined Director from Scheduled castes/ Scheduled Tribes-member	
	Artist/ Photographer	Agriculture Development Officer (Publicity and information)	5 year		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SONTOSH MISHRA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. एफ-1 बी/5/2010/14-1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषि विभाग की स्थापना के चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त नियम में,

अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

अनुसूची

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या (राज्य पुनर्गठन के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित पद)	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा हो	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता	पदोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में वह पद जिससे पदोन्नति की जानी हो.	पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	सुपरवाइजर	3	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	-	दफ्तरी या जमादार	3 वर्ष
2	जमादार	2	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1400	पदोन्नति द्वारा	-	-	भृत्य	5 वर्ष
3	दफ्तरी	3	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1400	पदोन्नति द्वारा	-	-	भृत्य	5 वर्ष
4	भृत्य / चौकीदार / चैनमेन / प्रयोग-शाला परिचारक / प्रेस हेल्पर / स्वीपर एवं अन्य	1524	चतुर्थ श्रेणी	4440-7400+1300	सीधी भर्ती द्वारा	न्यूनतम आयु 18 वर्ष	8वीं कक्षा	-	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-बी-5-2010-चौदह-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1-बी-5-2010-चौदह-1, दिनांक 23 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd February 2012

F A-1B/5/2010/ XIV-1 In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Class-IV Services on the Establishment of Agriculture Department, Recruitment Rules, 1978, namely:-

AMENDMENTS

In the said rule,-

For Schedule, the following Schedule, shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the posts included in the service	Total No. of Posts (after Reassignment of State post allotted to M.P. state)	Classification	Pay Scale	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion	Minimum age for direct recruitment	Educational Qualification required for direct recruitment	In case of recruitment by promotion post from which promotion to be made	qualifying service for promotion
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Supervisor	3	Class-III	5200-20200+1900	100% By promotion	--	--	Daftari or Jamadar	3 years
Jamadar	2	Class-IV	4440-7440+1400	By Promotion	--	--	Peon	5 years
Daftari	3	Class-IV	4440-7440+1400	By Promotion	--	--	Peon	5 years
Peon/ Chokidar/ Chainman/ Prayogshala Paricharak/ Press Helper/ Sweeper/ and other	1524	Class-IV	4440-7400+1300	By direct recruitment	Min. age 18 year	8 th class	--	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SONTOSH MISHRA, Addl. Secy.